२

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

सत्यमेव जयते

छात्रवृत्ति की घोषणा : 2019–20

(मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2019–20 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है । "छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, राज्य सरकार उपर्युक्त योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है ।"

समय–सीमा

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीनीकरण छात्रवृत्ति (वह आवेदक जिसने 2018–19 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	15 अक्टूबर 2019
	i मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं ii मेरिट–सह साधन आधारित छात्रवृत्ति	31 अक्टूबर 2019

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) का विद्यार्थी हो ।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो ।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो ।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों ।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट– **www.scholarships.gov.in** (इस साइट का लिंक **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप–**National Scholarship (NSP)** पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें ।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है ।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दे जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशो के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो ।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहॉ कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 15 जुलाई, 2019 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होनें ऐसा पहले नहीं किया है)

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर जाएं ।

समाधान हेल्पलाइन (टोल फ्री) : 1800–11–2001 (समय सुबह 9:00 बजे से सांय 5.30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुट्टी का दिन छोड़कर)

(डी. डी. सिंह)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर